[2018] 12 एस. सी. आर. 1044

चित्रा शर्मा और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) No.744)

अगस्त 09,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 3 (30) , 3 (31) , 5 (7) , 5 (8) , 7 , 17 , 18 , 20 , 21 (6) और 21 (6ए) (बी)-जे. आई. एल., एक उच्च तकनीक वाला टाउनशिप डेवलपर, आई. डी. बी. आई. बैंक बैंक को अपने बकाया के पुनर्भुगतान में चूक करता है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग की

(जे. आई. एल. के खिलाफ सी. आई. आर. पी.)-दावा प्रस्तुत करने के लिए जे. आई. एल. ने घर को अलग कर दिया।

वित्तीय और परिचालन लेनदारों से खरीदार-द्वारा लिखित याचिका

घर खरीदार जिन्होंने अनुरोध किया कि उनके हित को नजरअंदाज किया जा रहा है

सी. आई. आर. पी. द्वारा केवल वित्तीय और परिचालन लेनदारों को मान्यता दी गई थी।

- उन्होंने आगे राशि के आनुपातिक वितरण का अनुरोध किया।

रिफंड की मांग करने वाले खरीदारों के बीच जे. आई. एल. द्वारा जमा किया गया-आयोजित:

याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती-सबसे पहले, सी. आई. आर. पी. के लंबित रहने के दौरान,

कानून के मामले के रूप में, न्यायालय के लिए यह निर्देश देना अस्वीकार्य था कि

वित्तीय लेनदारों के किसी विशेष वर्ग को अधिमान्य भुगतान किया जाना, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित-संवितरण का निर्देश

धनवापसी की मांग करने वाले घर खरीदारों को राशि की राशि स्पष्ट रूप से दी जाएगी

अनुचित और सुरक्षित लेनदारों के साथ अन्याय का कारण बनता है क्योंकि यह लेनदारों के एक वर्ग को तरजीही संवितरण के लिए राशि

दूसरा, केवल 8 प्रतिशत घर खरीदारों ने अपने घर का पैसा वापस मांगा है।

धन, जबकि 92 प्रतिशत ने उन घरों पर कब्जा करना पसंद किया जो उन्होंने

खरीदा है-वित्तीय लेनदेन के एक वर्ग को धनवापसी की अनुमति देना लेनदार एक समग्र योजना के समग्र हित में नहीं होंगे।

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया-तीसरा, आई. बी. सी. के अधिनियमन का एक प्रमुख कारण ब्याज की रक्षा करना था।

ऋणदाताओं अर्थात बैंकों और वित्तीय संस्थानों, जो जवाबदेह हैं अपने हितधारकों के लिए-चौथा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक संगठन का गठन किया

सलाहकार समिति (आई. ए. सी.), जिसने एक शुरुआत करने की भी सिफारिश की

आई. बी. सी. के तहत जे. ए. एल. (जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी) के खिलाफ सी. आई. आर. पी. -

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-एस. 35 एए और 35 एबी (द्वारा अधिनियमित)

संशोधन 2017)-भारत का संविधान-Art.32।

1044 चित्रा शर्मा और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

जे. आई. एल., एक उच्च तकनीक वाले टाउनशिप डेवलपर ने आई. डी. बी. आई. बैंक को अपने बकाया के पुनर्भुगतान में चूक की। बैंक ने जे. आई. एल. के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने की मांग की। इसके अनुसार, एक याचिका यू / अधिनियम की धारा 7 जे. आई. एल. के खिलाफ बैंक द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थी।

(एनसीएलटी)। जे. आई. एल. ने लेनदारों द्वारा दावे प्रस्तुत करने का आह्वान किया और एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि घर खरीदारों को एक अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसके बाद, घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए यू/Art.32 कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सी. आई. आर. पी. के हितों की अनदेखी की जा रही है

घर खरीदार और केवल वित्तीय और परिचालन लेनदारों को पहचान रहे थे। न्यायालय ने जे. ए. एल. को निर्देश दिया था कि

जे. आई. एल. 2,000/- करोड़ रुपये की राशि जमा करेगी। हालांकि, केवल Rs.750 करोड़ जमा किए गए थे। घर खरीदारों ने धनवापसी की मांग करने वाले खरीदारों के बीच इस राशि के आनुपातिक वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिम निर्देश मांगे।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

सहानुभूति के साथ विचार करें। फिर भी, याचिका पर उचित विचार करने के बाद और शेष राशि पर, यह न्यायालय एक से अधिक कारणों से इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। सबसे पहले, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) के लंबित रहने के दौरान, कानून के मामले के रूप में, न्यायालय के लिए किसी विशेष वर्ग के वित्तीय संस्थानों को तरजीही भुगतान करने का निर्देश देना अनुज्ञेय नहीं होगा। लेनदार, चाहे वे सुरक्षित हों या असुरक्षित। वर्तमान में, यह सवाल खुला है कि क्या घर खरीदार असुरक्षित लेनदार हैं या सुरक्षित लेनदार हैं। धनवापसी की मांग करने वाले घर खरीदारों को 750 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण करना स्पष्ट रूप से अनुचित होगा और सुरक्षित लेनदारों के साथ अन्याय होगा क्योंकि यह लेनदारों के एक वर्ग के लिए तरजीही संवितरण के बराबर होगा। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई. बी. सी.) के अनुशासन का सहारा लेने के बाद, यह आवश्यक है कि समाधान प्रक्रिया के समापन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसके वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए। दूसरा, आंकड़े

वर्तमान में उपलब्ध कराए जाने से संकेत मिलता है कि 8 प्रतिशत घर खरीदारों ने अपने धन की वापसी की मांग की है जबकि 92 प्रतिशत ने स्पष्ट रूप से [2018] 12 एस. सी. आर. की मांग की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाधान योजना निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण तैयार करना है। वित्तीय लेनदारों के एक वर्ग को धनवापसी की अनुमति देना आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत तैयार की जा रही समग्र योजना के समग्र हित में नहीं होगा। तीसरा, सुनवाई के दौरान, न्यायालय को सुरक्षित लेनदारों की चिंताओं से अवगत कराया गया है, जिनमें से प्रमुख आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है। अपनी प्रस्तुतियों में इस न्यायालय के समक्ष, आई. डी. बी. आई. बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि आई. बी. सी. के अधिनियमन का एक प्रमुख कारण ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना था। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण को जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित किया गया है, ताकि इसकी रक्षा की जा सके।

उनके हित। यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सार्वजनिक जमाओं में उत्पन्न होता है, जो अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। चौथा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति के लिए इस अदालत का रुख किया है। संसद ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम लागू किया

2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में धारा 35 एए और धारा 35 एबी को शामिल करके। यह संशोधन केंद्र सरकार को आई. बी. सी. के तहत समझे जाने वाले चूक के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी भी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करने के लिए आर. बी. आई. को अधिकृत करने का अधिकार देता है। ऐसा आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक सलाहकार समिति (आई. ए. सी.) का गठन किया जिसमें मुख्य रूप से इसके स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। आई. ए. सी. ने उन खातों पर विचार किया जिन्हें बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष 500 जोखिमों में से आंशिक या पूरी तरह से गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पहले कदम के रूप में, आई. ए. सी. ने निधि और गैर-निधि आधारित ऐसे सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति खातों की सिफारिश की। 5, 000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया। आई. ए. सी. ने शुरू में बारह खातों को अपने हाथ में लिया है जिनमें कुल 1 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। जे. आई. एल. उन बारह खातों में से एक था जिनके संबंध में चित्र शर्मा और ओ. आर. एस. थे।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

दिवालिया शुरू करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं

संकल्प। इसके बाद, आई. ए. सी. ने सिफारिश की कि उन खातों के संबंध में जहां 60 प्रतिशत या उससे अधिक को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था, बैंकों को एक व्यवहार्य समाधान योजना लागू करने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसमें विफल रहने पर खातों को आई. बी. सी. के तहत एक संदर्भ के लिए निर्देशित किया जा सकता है। जे. ए. एल. ऐसी ही एक संस्था थी। कोई व्यवहार्य समाधान योजना नहीं मिल सकी जिसके परिणामस्वरूप इसे सी. आई. आर. पी. के लिए संदर्भित करने की भी आवश्यकता है। आर. बी. आई. ने इस कवायद को देश में प्रमुख बैंकिंग संस्थान के रूप में अपनी क्षमता में आर्थिक नीति के मामले के रूप में किया है, जिसे पर्यवेक्षी भूमिका और शक्ति सौंपी गई है।

बाध्यकारी निर्देश जारी करना। [पैरा 40] [1081-सी-एच; 1082-ए-एच]

2. जे. ए. एल. को एस. एम. ए.-II श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया था।

(बैंकों द्वारा और एन. पी. ए. के रूप में 60 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय मांगें। आर. बी. आई. सही है कि समाधान में किसी भी तरह की और देरी से जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के लिए एक व्यवहार्य समाधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आर. बी. आई. द्वारा दायर आवेदन से अदालत के समक्ष सामने आए तथ्य स्पष्ट रूप से जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के वित्तीय संकट का संकेत देते हैं। घर खरीदारों की अपनी वित्तीय अक्षमता के संबंध में आशंकाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि एक जिम्मेदार संस्थान ने अदालत के समक्ष आग्रह किया है। आई. बी. सी. को एक व्यापक दिवालियापन कानून के रूप में और एक विशिष्ट विधायी इरादे के साथ लागू किया गया है। जून 2018 में जारी अध्यादेश द्वारा लाए गए संशोधन के साथ, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से किया गया अनुरोध कि उसे इसका पालन करने की अनुमति दी जाए

आई. बी. सी. के तहत जे. ए. एल. के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आई. ए. सी. की सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है। [पैरा 41] [1083-बी-डी]

एम/एस। शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम। नारायण खिमलाल टोटामे (1990) 1 एस. सी. सी. 520; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) 4 एस. सी. सी. 675: [1982] 1 एस. सी. आर. 947; पीयरलेस

सामान्य वित्त और निवेश कंपनी लिमिटेड बनाम आर. बी. आई.

(1992) 2 एससीसी 343: [1992] 1 एससीआर 406; टीएन पीढ़ी

और वितरण निगम। लिमिटेड बनाम सी. एस. ई. पी. डी. आई.-त्रिशे

कंसोर्टियम (2017) 4 एससीसी 318: [2016] 7 एससीआर 495

- संदर्भित किया गया।

[201

8] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

(1990) 1 एस. सी. सी. 520

पै

रा 25

संदर्भित किया गया है

[1982] 1 एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[1992] 1 एससीआर 406

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[2016] 7 एससीआर 495

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णय: लेखन याचिका

(सिविल) 2017 की सं. 744।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

2017 की रिट याचिका (सिविल) Nos.782 और 783, विशेष अवकाश

2017 की याचिका (सिविल) संख्या 24001, रिट याचिका (सिविल) संख्या। 803 और 2017 की 805,2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 24002,2017 की रिट याचिका (सिविल) Nos.950 और 860,2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 36396,2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डी. संख्या 33267 और 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 511।

तुषार मेहता, ए. एस. जी., अजीत कुमार सिन्हा, फली एस. नरीमन,

एस. बी. उपाध्याय, सुश्री माधवी दीवान, सी. ए. सुंदरम, कॉलिन गोंजाल्विस, सिद्धार्थ लूथरा, आनंद ग्रोवर, वी. गिरि, सुश्री वी. मोहना, पराग पी. त्रिपाठी, जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पवनश्री अग्रवाल, (एसी), एस. के. गोकुला कृष्णन, कारी वेंताटा रेड्डी, सुश्री रेवती राघव, मनोज गोयल, शुभोदीप रॉय, फुजैल अहमद अयूब, ऐश्वर्या सिन्हा, सुश्री प्रियंका सिन्हा, सुश्री मोहिनी प्रिया, अरुण मोंगा, सुश्री दिव्या शर्मा, सूर्यज्योति सिंह पॉल, गोपाल झा, मेहूल एम. गुप्ता, आर. पी. गुप्ता, सुश्री मोहना, सुश्री गीताली तालुका, समरेंद्र नाथ वर्मा, करुणाकर महालिक, शोवन मिश्रा, कौशिक चौधरी, शांतनु सागर, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, अशोक कुमार जैन, पंकज जैन, बिजॉय कुमार जैन, विश्वजीत दुबे, सिरिल अमरचंद मंगलदास), संदीप देवाशीष दास, अनुपम लाल दास,

विशाल गुप्ता, अनिरुद्ध सिंह, कृष्णू बरुआ, सुभाष शर्मा, अभिषेक राज, सुमित शर्मा, पारस चौधरी, कबीर सिंह, सिद्धार्थ अग्रवाल, सुश्री आदिश्री, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एन. दुबे, सर्वजीत प्रताप चित्रा शर्मा और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

सिंह, करण भारियोक, रतिक शर्मा, आकाश त्यागी, मेसर्स। यूनुक लीगल एलएलपी, अजीत शर्मा, बिजय कुमार जैन, वरिंदर कुमार शर्मा, सैयद शाहिद रिज़वी, हरीश वी. शंकर, श्रीमती अनिल कटियार, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, अमित शर्मा, नवीन कुमार, विष्णु शर्मा, सुश्री अनुपमा शर्मा, सुश्री सोनाली नेगी, मोहित राय, अखिलेश्वर झा, मंगलजीत मुखर्जी,

श्रीमती देबर्पिता बसु मुखर्जी, बी. पी. यादव, श्रीमती सरला चंद्र, अरुण के. सिन्हा, सुश्री प्रेरणा मेहता, रोहित सिंह, सचिन पाटिल, पार्थ सिल, सुश्री कविता झा, वैभव कुलकर्णी, उदित नरेश, एम. ए. कृष्ण मूर्ति, के. के. मोहन, राज किशोर चौधरी, राजीव के. विरमानी, अतुल मल्होत्रा, गौरव जैन, यादव नरेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, मुकेश कुमार वर्मा, अशोक माथुर, आर. सुधींद्र, सौम्या मेहरोत्रा, रबीन मजूमदार, सुश्री शशि किरण, सतीश चंद्र, मनोज जैन, संजय मौर्य, अनूप

जैन, अभिषेक बैद, प्रणीत दास, सार्थक गुरु, केदार नाथ त्रिपाठी, टी. हरीश कुमार, तल्हा अब्दुल रहमान, अभिजात पी. मेध, सुश्री सान्या तलवार, रजत नवेत, प्रदीप कुमार बख्शी, मुकेश कुमार मरोरिया, रवींद्र कुमार, पवन उपाध्याय, निशांत कुमार, रतिक शर्मा, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, सुश्री मधुष्मिता बोरा, पवन किशोर सिंह, राम कृष्ण, संदीप बिष्ट, रंजन कुमार पांडे, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, प्रवीण कुमार स्वरूप, शेखर कुमार, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, भारत मोंगा, बालाजी श्रीनिवासन, राजीव कुमार बंसल, अभिषेक यादव, अमरजीत सिंह बेदी, डॉ. ललित भ।

सुश्री गरिमा बजाज, नकुल दीवान, एजाज मकबूल, कुंवर आदित्य सिंह, पी. वी. दिनेश, रमाकांत राय, सुश्री महक सूरी, अर्जुन गर्ग, सर्वम रितम खरे, सुश्री वृंदा कपूर, मो. राशिद सईद, सुश्री मंजीत चावला, सुश्री लिज़ मैथ्यू, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, अपूर्व शुक्ला, कुणाल चीमा, सुधीर नागर, श्रीमती गार्गी खन्ना, अरुण अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, अनिंद्य प्रसाद कुमार, सुश्री तिशमपति सेन, सुश्री रश्मि नंदकुमार, पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री प्रवीणा गौतम, नीरज कुमार गुप्ता, हिमांशु शेखर, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री ऐनी मैथ्यू, सुश्री अन्न्या घोष, अमित पवन, अंभोज कुमार सिन्हा, आलोक शुक्ला, वजीह शफीक, विकास उपाध्याय, विदित मोंगा, जसबिर सिंह मलिक, सुश्री उषा नंदिनी, सुशील कुमार सिंह, सुश्री तसनीम

अहमदी, सुधीर कुमार गुप्ता, अभिनव गुप्ता, सुश्री महिमा राठी, सुबोध एस. पाटिल, उमाकांत मिश्रा, सिबो शंकर मिश्रा, शिव सागर तिवारी, शिशिर पिनाकी, सुश्री शशि किरण, सुश्री प्रिया शर्मा, प्रथवी राज चौहान, अर्जुन सैन, संजय कुमार दुबे, यूनुस मलिक, सुश्री रेणु वर्मा, अनीश

माहेश्वरी, सुश्री फरहा मलिक, समीर मलिक, सुश्री रुचि कोहली, सोनम शर्मा, सुश्री राखी रे, राजेंद्र प्रसाद, राहुल नारायण, सुश्री पूजा शर्मा, सुश्री गरिमा शर्मा, मोहित चौधरी, सुचित मोहंती, प्रकाश रंजन नायक, नीरज गुप्ता, सुश्री अंशु सी, मुकेश जैन, मोहम्मद। शाहिद

अनवर, सुश्री मोना दीक्षित, सुश्री यामिनी दीक्षित, मयंक पांडे, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, रवि चंद्र प्रकाश, मुकेश कुमार सिंह, सुश्री वाणी व्यास, सुश्री सुषमा सिंह, मोहित कौशिक, श्री अभिषेक त्रिपाठी, मैसर्स। रवि चंद्र प्रकाश एंड कंपनी, कौशिक चौधरी, गिरीश चंद त्यागी, बृजेश त्यागी, ललित चाहर, कैलाश प्रसाद पांडे, सुश्री प्रेरणा सिंह, रवि किशोर, नीरज सिंह, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री गीतांजलि मोहन, गौरव केजरीवाल, दीपक गोयल, क्रिस्टोफर डिसूजा, प्रभात राय, प्रशांत त्यागी, ब्रज किशोर मिश्रा, बिनय कुमार दास, सुश्री आशा जैन मदान, अनिल नाग, अरुण सिंह, वाई. लोकेश, अनिल कुमार तांडले, अनीश मित्तल, सुश्री श्रेया शर्मा, अमरजीत सिंह बेदी, अजय मारवाह, मूल सिंह, आनंद, अभिजीत सेनगुप्ता, सुभाशीष विश्वास, अभय कुमार, अनिवेश भारद्वाज।

उज्जवल बनर्जी, सुश्री उदिता सिंह, सोमेश चंद्र झा, शशांक शेखर सिंह, संदीप देवाशीष दास, सुश्री सुरभी शर्मा, एस. के. भट्टाचार्य, एल. के. पाओनम, श्रीमती तोमथिनगनबी कोइजाम, नीरज बॉबी पाओनम, राहुल शर्मा, संतोष के. सेठी, अर्जुन जैदका, मिथिलेश कुमार सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, अजय जैन, प्रणय जैन, जिनेंद्र जैन, आई. सी. जैन, सुश्री आस्था चोपड़ा, अजय सिंह, जय भाटी, गगन गुप्ता, सौरभ गुप्ता, भार्गव वी. देसाई, अजय शर्मा, राजेश पी., सुनील मल्होत्रा, पी. एन. पुरी, रजत मल्होत्रा, श्रीमती रीता दीवान पुरी, चंदर शेखर अशरी,

आयुष शर्मा, संदीप देवाशीष दास, साहिल सेठी, शिवम शर्मा, सुश्री आस्था शर्मा, सैयद शाहिद अंसारी रिज़वी, हरीश वी. शंकर, अरविंद के. शर्मा, सुमंत बत्रा, सैयद सरफराज करीम, अभिनव श्रीवास्तव, राहुल गुप्तक, आर. पी. सिंह, रचित मित्तल, सुश्री तन्वी अग्रवाल, अंकित खेरा, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, आशुतोष दुबे, सुशील पांडे, राजेंद्र, सुश्री रश्मि दुबे, समरेंद्र नाथ वर्मा, अनिल कुमार। मिश्रा, ए. रोहेन सिंह, नवीन कुमार, अनिल कुमार मिश्रा, ए. रोहेन सिंह, रणधीर के. सिंह, नवीन के. , सुश्री कनिका सहगल, डॉ. ललित भसीन, सुश्री सुरीन शुक्ला, पी. वी. योगेश्वरन, विवेक सरीन, आकर्शन आदित्य, राशिद सईद, ललित चौहान, सुश्री सोनल गुप्ता, सुश्री ऐश्वर्या दास, सौरभ कृपाल कृपाल, अधिवक्ता। . उपस्थित दलों के लिए।

चित्रा शर्मा और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।

2. जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड 1 द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये कार्यवाही शुरू की गई है। जे. आई. एल. एक विशेष प्रयोजन वाहन है जिसे इसकी होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड 2 द्वारा बनाया गया है।

3. आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड ने राष्ट्रीय बैंक के समक्ष जे. आई. एल. 4 के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की।

इलाहाबाद में अपनी पीठ में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 3। बैंक ने जे. आई. एल. के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। जे. आई. एल. ने याचिका स्वीकार करने का विरोध करते हुए अपनी आपत्तियाँ दायर कीं। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जे. आई. एल. ने अपनी आपत्तियाँ वापस ले लीं और आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत एक समाधान योजना के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की। आई. डी. बी. आई. बैंक ने दावा किया कि जे. आई. एल. ने एक करोड़ रुपये का चूक किया था। 526.11 अपने बकाया के पुनर्भुगतान में करोड़। 9 अगस्त 2017 को एन. सी. एल. टी. ने जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की। धारा 14 के तहत स्थगन का आदेश जारी किया गया था।

जिसके द्वारा मुकदमों की संस्था और लंबित की निरंतरता निष्पादन कार्यवाही सहित कार्यवाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की गई थी। 14 अगस्त 2017 को, जे. आई. एल. ने एन. सी. एल. टी. के आदेश के अनुसरण में अनुरोध किया

लेनदारों द्वारा दावों की प्रस्तुतियाँ: फॉर्म-सी में वित्तीय लेनदार, फॉर्म-बी में परिचालन लेनदार, फॉर्म-ई में कर्मचारी और कर्मचारी और फॉर्म-एफ में अन्य लेनदार। 16 अगस्त 2017 को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने अपने नियमों में संशोधन किया और

विनियम 9 (ए) को अन्य लेनदारों के दावों को शामिल करने के लिए जोड़ा गया था। 18 अगस्त 2017 को, बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया कि घर खरीदार फॉर्म-एफ भर सकते हैं क्योंकि उन्हें वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बराबर नहीं माना जा सकता है।

4. ये कार्यवाहियाँ निम्नलिखित राहतों के लिए शुरू की गई थीं:

(i) एक घोषणा कि संहिता की धारा 6,7,10,14 और 53 अधिकार से बाहर हैं क्योंकि केवल वित्तीय या परिचालन लेनदार हैं

मान्यता प्राप्त, घर जैसे अन्य हितधारकों की उपेक्षा करना

खरीदार;

1 जे. आई. एल

2 जेएएल 3 आई. बी. सी

4 सीपी (आईबी) 77/एएलबी/2017)

" सीआईआरपी

((ii) एन. सी. एल. टी. के 9 अगस्त 2017 के आदेश को दरकिनार कर दिया जाए।

(iii) भारत संघ को धारा 14 (3) के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाए कि धारा 14 (1) (ए) के तहत निहित अधिस्थगन के प्रावधान उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होंगे और घर खरीदारों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत उनके लिए उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। (iv) इस अवधि के लिए जे. आई. एल. और जे. ए. एल. का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए।

2009 2017 तक; और

(v) हितों की रक्षा के लिए भारत संघ को निर्देश जारी किया जाए।

व्यापक सार्वजनिक हित में घर खरीदारों का।

5. जैसा कि उपरोक्त कथन इंगित करता है, अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय को जिस शिकायत के साथ स्थानांतरित किया गया था, वह यह थी कि सी. आई. आर. पी. हितों की अनदेखी करता है। निर्माण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण हितधारकों में से, जिनमें से प्रमुख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने घर के मालिक होने की मानवीय इच्छा की खोज में अपनी संपत्ति का निवेश किया है। आई. बी. सी. ने याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण में केवल मान्यता दी

तीन श्रेणियाँ या वर्ग अर्थात् (i) निगमित ऋणदाता; (ii) वित्तीय ऋणदाता और (iii) परिचालन ऋणदाता। आई. बी. सी. द्वारा संरक्षित नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और आर. ई. आर. ए. सहित विशेष अधिनियमों द्वारा उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों को वापस नहीं लिया जा सकता है। निवारण की मांग करने के अधिकार का निलंबन

धारा 14 (1) (ए) के तहत एक न्यायिक मंच, यह दावा किया गया था कि घर खरीदारों को बिना किसी उपाय के छोड़ देगा। आई. बी. सी. की धारा 238 इसे अस्तित्व में अन्य कानूनों पर एक प्रबल प्रभाव देती है।

6. इस न्यायालय के समक्ष याचिका का आकार बढ़कर 646 व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो घर खरीदार होने का दावा करते हैं। पहले से तैयार किया गया

जे. आई. एल., जे. ए. एल. और भारत संघ के अलावा इन कार्यवाहियों के प्रतिवेदियों के रूप में न्यायालय वैधानिक प्राधिकरण (भारतीय रिजर्व बैंक सहित), बैंक और घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले कल्याण संघ हैं। हस्तक्षेप के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए हैं। 7. घर खरीदारों ने जे. आई. एल. और जे. ए. एल. द्वारा प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं ("हाई-टेक" टाउनशिप जैसा कि उनका वर्णन किया गया था) में निवेश किया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। संभावित खरीदार द्वारा आरक्षण के तीस से छत्तीस महीने के भीतर टाउनशिप को कब्जे के लिए तैयार होना था। विकासकर्ताओं, व्यक्तिगत खरीदारों के प्रतिनिधित्व पर निर्भर करते हुए

आवासीय परियोजनाओं में निवेश करें। उनमें से बड़ी संख्या ने चित्र शर्मा और ओ. आर. एस. प्राप्त किया है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

वित्तीय संस्थानों से ऋण। कब्जा सौंपने में देरी के परिणामस्वरूप, कई फ्लैट खरीदारों ने राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के समक्ष उपभोक्ता शिकायतें दर्ज कीं। कहा जाता है कि जून 2017 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जे. आई. एल. सहित देश के शीर्ष 12 चूककर्ताओं की एक सूची प्रकाशित की थी, जिसे लगभग 12 करोड़ रुपये की राशि का चूककर्ता घोषित किया गया था। 8,000 अपने ऋणदाताओं को करोड़।

8. इस न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए स्थानांतरित किया गया था, जिन्हें संकट में छोड़ दिया गया था। जब याचिका दायर की गई थी, तब सी. आई. आर. पी. में उनका कोई अधिकार नहीं था। परिसमापन से घर खरीदारों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ेगा। संपत्ति का निपटान, यह पकड़ा जाता है, उन्हें घर के मालिक होने के उनके अधिकार से वंचित कर देगा। मानव संकट की स्थिति का सामना करते हुए, डेवलपर्स के अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफलता और एक कानूनी व्यवस्था के कारण यह आईबीसी के तहत खड़ा था, जिसने घर खरीदारों को कोई सांत्वना नहीं दी, इस अदालत ने 4 सितंबर 2017 को रिट याचिकाओं के एक समूह में नोटिस जारी किया। इलाहाबाद में एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि कार्यवाही की एक प्रति भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में दी जाए। अभियोग और हस्तक्षेप के लिए आवेदनों की अनुमति दी गई थी। 9. 11 सितंबर 2017 को, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने विज्ञापन को खाली करने के लिए एक आवेदन दायर किया-4 सितंबर 2017 का अंतरिम आदेश। महान्यायवादी ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि स्थगन के आदेश का परिणाम एक ऐसा परिणाम होगा जो अनपेक्षित था: जे. आई. एल. का नियंत्रण बहाल किया जाएगा।

पूर्व प्रबंधन के लिए। इस तरह के परिणाम लेनदारों और उपभोक्ताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करेंगे। इस बीच, विज्ञापन-अंतरिम रोक के परिणामस्वरूप, आई. आर. पी. ने जे. आई. एल. को अभिलेख सौंपे थे। घर खरीदारों के वकील ने तर्क दिया कि यदि आई. आर. पी. को नियंत्रण वापस लेने में सक्षम बनाने के लिए ठहराव के आदेश को संशोधित किया जा रहा है, तो लेनदारों की समिति में उनके प्रतिनिधि का होना आवश्यक था। अधिनियम की व्यवस्था में उस स्तर पर सी. ओ. सी. पर घर खरीदारों के लिए कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था।

0. तदनुसार, 11 सितंबर 2017 को इस न्यायालय ने 4 सितंबर 2017 के अपने पहले के आदेश को निम्नलिखित शर्तों में संशोधित किया:

क) आई. आर. पी. तुरंत जे. आई. एल. का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा। आई. आर. पी. एक अंतरिम समाधान योजना तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।

इस न्यायालय के समक्ष 45 दिनों के भीतर। अंतरिम समाधान योजना घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रावधान करेगी।

बी) Mr.Shekhar नाफडे, विद्वान वरिष्ठ वकील, Ms.Shubhangi तुली, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के साथ, धारा 21 के तहत लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग लेंगे

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

घर खरीदार और उनके हितों की रक्षा करना;

ग) जे. आई. एल. और जे. ए. एल. के प्रबंध निदेशक और निदेशक इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

घ) जे. ए. एल., जो दिवाला कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, इस न्यायालय के समक्ष आई. डी. 1 पर या उससे पहले 2,000 करोड़ रुपये (दो हजार करोड़ रुपये) की राशि जमा करेगी। उक्त उद्देश्य के लिए, यदि जे. ए. एल. की किसी संपत्ति या संपत्ति को बेचना है, तो वह इस न्यायालय की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो जे. आई. एल. के साथ-साथ वर्तमान निदेशकों/प्रबंध निदेशक के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू होने की तारीख को जे. आई. एल. या जे. ए. एल. का निदेशक या प्रबंध निदेशक था, वह भी इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा। पूर्वगामी ऋण देने वाली संस्थाओं के नामित निदेशकों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(आईडीबीआई/आईसीआईसीआई/एस. बी. आई.);

ङ) जे. आई. एल. के खिलाफ लगाए गए सभी मुकदमों और कार्यवाही पर धारा 14 (1) (ए) के संदर्भ में रोक रहेगी क्योंकि हमने आई. आर. पी. को प्रबंधन में बने रहने का निर्देश दिया है। यह स्पष्ट किया जाए कि हमने अधिनियम के प्रावधानों और ब्याज को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया है। घर खरीदारों से "।

11. उपरोक्त अंतरिम निर्देश इंगित करते हैं कि तीन महत्वपूर्ण

ई. टी. एस. आदेश की नींव थी: सबसे पहले, आई. बी. सी. के अनुशासन का पालन करते हुए, आई. आर. पी. को जे. आई. एल. के प्रबंधन और एक निर्धारित अवधि के भीतर एक अंतरिम योजना तैयार करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।

दूसरा, आई. आर. पी. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं। इस न्यायालय में सी. ओ. सी. के समक्ष घर खरीदारों को रखने की

सुविधा के लिएइस न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने वाले एक वरिष्ठ वकील को इसमें भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया

आई. बी. सी. की धारा 21; चित्र शर्मा और ओ. आर. एस. के तहत बैठकें।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

तीसरा, जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी के रूप में जे. ए. एल. को 27 अक्टूबर 2017 को या उससे पहले 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था।

इन निर्देशों को तैयार करते हुए, न्यायालय ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए। उस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए,

13. जे. ए. एल. ने इस अदालत के समक्ष 2,000 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश को हटाने या एक संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया जो जे. ए. एल. को इस संबंध में एक रियायत समझौते के तहत अपने अधिकारों को हस्तांतरित करने में सक्षम बनाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे (नोएडा और आगरा के बीच)। इस अनुरोध का महान्यायवादी के साथ-साथ आई. डी. बी. आई. बैंक और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर से पेश वकील ने भी गंभीर विरोध किया।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आई. आर. पी. के वकील ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि रियायत समझौते के तहत अधिकार

जे. आई. एल. से संबंधित है जो आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के अधीन था जिसके परिणामस्वरूप अलगाव के लिए इस तरह के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। 25 अक्टूबर 2017 के अपने आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने 2,000 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के निर्देश में संशोधन करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, ऐसा करने का समय 5 नवंबर 2017 तक बढ़ा दिया गया था।

14. 30 नवंबर 2017 को इस अदालत ने निर्देश दिया कि घर खरीदार मामले में नियुक्त न्यायमित्र से संपर्क कर सकते हैं। द एमिकस

क्यूरी को एक वेब पोर्टल खोलना था जिस पर घर खरीदारों का विवरण अपलोड किया जाएगा। सभी निदेशकों को शपथ पत्र पर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा करने के लिए अगली तारीख को इस न्यायालय में उपस्थित रहना आवश्यक था। निदेशक 22 नवंबर 2017 को इस अदालत के समक्ष उपस्थित थे जब एक जे. ए. एल. की ओर से 275 करोड़ रुपये की राशि जमा करने की तैयारी का बयान दिया गया था। 22 नवंबर 2017 के अपने आदेश द्वारा इस अदालत ने जे. ए. एल. को दिन के दौरान 275 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि 13 दिसंबर 2017 तक 150 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर [2018] 12 एस. सी. आर. तक 125 करोड़ रुपये की राशि जमा की जाए।

2017. निदेशकों और उनके परिवारों की संपत्तियों और संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई थी। 2, 000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए पहले के निर्देश को बनाए रखा गया था। 22 नवंबर 2017 के आदेश के अनुसार 150 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी। 15 दिसंबर 2017 के आदेश में देखा गया।

15. 10 जनवरी 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया।

इस न्यायालय के समक्ष आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत जे. ए. एल. के खिलाफ एन. सी. एल. टी. में जाने की अनुमति मांगी गई। यह देखते हुए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दायर आवेदन पर बाद में विचार किया जाएगा, इस अदालत ने जे. ए. एल. को हलफनामे पर अपनी आवास परियोजनाओं का विवरण दाखिल करने का निर्देश जारी किया। न्यायमित्र को जे. ए. एल. के घर खरीदारों के विवरण को दर्शाते हुए एक अलग वेब पोर्टल खोलने की अनुमति दी गई थी।

16. जब 21 मार्च 2018 को इस अदालत के समक्ष कार्यवाही सूचीबद्ध की गई, तो जे. ए. एल. ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि रजिस्ट्री में 550 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है। जे. ए. एल. के वकील ने कहा कि केवल 8 प्रतिशत घर खरीदार धनवापसी की मांग करने में रुचि रखते हैं जबकि अन्य ने अपने फ्लैटों पर कब्जा करने की इच्छा व्यक्त की है। न्यायालय ने अपने आदेश में संकेत दिया कि वर्तमान में यह उन घर खरीदारों से संबंधित है जिन्होंने धनवापसी की मांग की है, जबकि जो लोग अपने फ्लैटों पर कब्जा करना चाहते हैं, उनकी शिकायतों पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा। चूंकि पिछले निर्देशों के तहत समय सीमा समाप्त होने के बावजूद 2,000 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश का पालन नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने आगे के निर्देश जारी किए। जे. ए. एल. के प्रबंध निदेशक की सहमति के अनुसार, 100 करोड़ रुपये की किस्त का भुगतान किया जाना था। 15 अप्रैल 2018 तक जमा किया जाना चाहिए, जबकि इतनी ही राशि की दूसरी किस्त 10 मई 2018 तक जमा करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमित्र ने अदालत का गठन किया कि वेब पोर्टल से एकत्र की गई जानकारी से संकेत मिलता है कि 1300 करोड़ रुपये की राशि को केवल मूलधन के माध्यम से घर खरीदारों को वापस करने की आवश्यकता थी जो धनवापसी की मांग कर रहे थे। द.

न्यायमित्र से अनुरोध किया गया था कि वे न्यायालय को एक परियोजना-वार चार्ट प्रस्तुत करें, जिसमें व्यक्तियों की संख्या और पूरा होने के चरण का संकेत हो। घर खरीदारों की शिकायतों में से एक यह थी कि डेवलपर निर्माण पूरा करने में असमर्थ होने के बावजूद मासिक किश्तों की मांग कर रहा था। नतीजतन, एक निर्देश जारी किया गया था कि

उन फ्लैट खरीदारों के संबंध में बकाया या भविष्य की किश्तों के लिए मांग उठाने से, जिन्होंने धनवापसी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस न्यायालय के आदेश से आई. आर. पी. को समाधान योजना को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई। हालांकि, इस अदालत ने निर्देश दिया कि यह योजना चित्रा शर्मा और ओआरएस होगी।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

केवल इसकी छुट्टी के साथ लागू किया गया। एन. सी. एल. टी. को जारी किए गए निर्देशों के अधीन कार्यवाही पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी।

17. 16 अप्रैल 2018 को अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि जे. ए. एल. ने 100 करोड़ रुपये की पहली किस्त जमा की थी। हम इस पर ध्यान दे सकते हैं जे. ए. एल. ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उसे आई. आर. पी. द्वारा तैयार की जा रही समाधान योजना में इच्छुक बोलीदाताओं में से एक के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने जे. ए. एल. को सक्षम को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

प्राधिकरण, हालांकि इस स्पष्टीकरण के साथ कि न्यायालय ने उस मुद्दे पर कोई राय व्यक्त नहीं की थी। इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि निर्देशित राशि निर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो निदेशकों की व्यक्तिगत संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

19. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि 21 मार्च 2018 के अपने पहले के आदेश के साथ-साथ 16 मई 2018 के बाद के आदेश में, इस न्यायालय ने घर खरीदारों के प्रो-रेटा के अनुरोध को दर्ज किया था।

जे. ए. एल. द्वारा जमा की गई राशि का वितरण। संवितरण के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है और अनुरोध पर विचार करने के लिए टाल दिया गया है।

20. 13 जुलाई 2018 को जे. ए. एल. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट परिसंपत्तियों को अलग करने की अनुमति के लिए कुछ प्रस्ताव दिए गए थे 2, 000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए इस न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के साथ। वित्तीय संस्थानों के अलावा याचिकाकर्ताओं और घर खरीदारों के वकीलों ने इस प्रस्ताव का गंभीर विरोध किया था। यह देखते हुए कि न्यायालय जे. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था, कार्यवाही को विशेष रूप से घर खरीदारों के अधिकारों और जे. ए. एल. और जे. आई. एल. की परियोजनाओं के निर्माण की क्षमता के मुद्दे पर विचार करने के उद्देश्य से 16 जुलाई 2018 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।"

21. आई. बी. सी. की धारा 12 (1) में परिकल्पना की गई है कि सी. आई. आर. पी. को प्रवेश की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

आवेदन। हालांकि, समाधान पेशेवर को सी. ओ. सी. से एक प्रस्ताव पर 90 दिनों की और अवधि बढ़ाने की मांग करने के लिए एक विंडो प्रदान की जाती है। विस्तार केवल एक बार प्रदान किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. जे. आई. एल. के मामले में सी. आई. आर. पी. को पूरा करने की अवधि 6 फरवरी 2018 को समाप्त होनी थी। सी. ओ. सी. की मंजूरी के आधार पर एन. सी. एल. टी. द्वारा 12 तारीख के एक आदेश द्वारा 90 दिनों के विस्तार की मांग की गई थी और उसे मंजूरी दी गई थी।

योजनाएं। आई. आर. पी. ने रुचि व्यक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए स्पष्ट किया था कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली समाधान योजना को घर खरीदारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का प्रावधान करना चाहिए। बोली प्रस्तुत की गई जे. ए. एल. द्वारा आई. बी. सी. की धारा 29 ए में निहित बार को देखते हुए अयोग्य पाया गया था और इसे नहीं खोला गया था। नौ समाधान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाओं में से पांच आई. बी. सी. के अनुरूप नहीं पाए गए और उन्हें विचार के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रारंभिक बातचीत के बाद, चार प्रस्ताव आवेदकों के साथ एक चर्चा हुई, जिनमें से कुछ थे:

(क) जे. एस. डब्ल्यू. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और आई. बी. सी. नॉलेज पार्क लिमिटेड।

(जेएसडब्ल्यू-आईबीसी);

(ख) अडानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (अडानी);

(ग) लक्षदीप इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड के साथ

Sh.Sudhir वालिया और रिश्तेदार (लक्षदीप); और

(घ) घन राजमार्ग और बुनियादी ढांचा प्रा. लि. लिमिटेड, कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और आई स्क्वायर एशिया एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (क्यूब-कोटक)

आई स्क्वायर)।

इसके बाद जे. एस. डब्ल्यू. को धारा 29A.Hence के तहत अयोग्य पाया गया, शेष तीन आवेदकों की समाधान योजनाओं पर विचार किया गया। आई. आर. पी. के वकील ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि शेष तीन आवेदकों में से किसी ने भी आई. आर. पी. द्वारा भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए कोई धनराशि लाने का प्रस्ताव नहीं किया है।

जे. आई. एल. को घर खरीदार। 9 अप्रैल 2018 को आयोजित एक बैठक में, सी. ओ. सी. ने बातचीत के लिए लक्षदीप की समाधान योजना को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया।

लक्षदीप ने 1 मई 2018 को एक समाधान योजना प्रस्तुत की और धारा 30 (4) के तहत इस पर विचार करने के लिए 7 मई 2018 को सी. ओ. सी. की एक बैठक निर्धारित की गई थी। इस बीच, 16

अप्रैल 2018 को इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसरण में, जे. ए. एल. ने 6 मई 2018 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। द.

सी. ओ. सी. ने लक्षदीप की समाधान योजना और प्रतिनिधित्व पर विचार किया जे. ए. एल. जे. ए. एल. को सी. ओ. सी. के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

चित्रा शर्मा और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जे. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को धारा 29ए में निहित वैधानिक प्रतिबंध के परिणामस्वरूप खारिज कर दिया गया था और क्योंकि यह सी. ओ. सी. को निर्माण के लिए धन जुटाने की अपनी क्षमता के बारे में समझाने में विफल रहा था। सी. ओ. सी. ने 8 मई 2018 को मतदान के लिए लक्षदीप की समाधान योजना को रखने का संकल्प लिया। हालांकि,

जब योजना पर विचार किया गया था, तो केवल 6 प्रतिशत वोट लक्षद्वीप के पक्ष में थे, जबकि तीन-चौथाई बहुमत की तब धारा 30 (4) के तहत आवश्यकता थी (वर्तमान आवश्यकता दो-तिहाई की है, आईबीसी में संशोधन के बाद, जो 6 जून 2018 से प्रभावी हुआ है)। तदनुसार, आई. आर. पी. ने एन. सी. एल. टी. को सूचित किया कि 270 दिनों की अवधि के भीतर सी. ओ. सी. द्वारा किसी भी समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी जो 12 मई 2018 को समाप्त हो गई थी।

23. निगमित दिवालियापन शुरू होने की तारीख (9 अगस्त 2017) को वित्तीय लेनदारों को देय कुल वित्तीय ऋण यह 9,984.70 करोड़ रुपये था।

24. आई. बी. सी. की धारा 33 (1) में कहा गया है कि समाधान योजना की अस्वीकृति के बाद परिसमापन होता है:

" 33. परिसमापन की शुरुआत।

(1) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, -

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति से पहले या धारा 12 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि या धारा 56 के तहत त्वरित गति से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया,

मामला हो सकता है, उप-धारा के तहत समाधान योजना प्राप्त नहीं करता है

(6) धारा 30 की; या

(ख) धारा 31 के तहत समाधान योजना को उसमें निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए अस्वीकार कर देता है, यह -
(i) एक आदेश पारित करें जिसमें निगमित देनदार को परिसमापन करने की आवश्यकता हो।

इस अध्याय में दी गई रीति;

((ii) एक सार्वजनिक घोषणा जारी करें जिसमें कहा गया हो कि निगमित देनदार

परिसमापन में है; और

((ग) ऐसे आदेश को उस प्राधिकारी को भेजने की अपेक्षा करता है जिसके साथ -

निगमित देनदार पंजीकृत है।

धारा 33 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में, जहां समाधान योजना को धारा 31 के तहत खारिज कर दिया गया है, एनसीएलटी को पारित करने की आवश्यकता है।

निगमित देनदार के परिसमापन का आदेश।

25. सुनवाई के दौरान, इस बात पर सर्वसम्मति रही है कि जे. आई. एल. का परिसमापन लोगों के हितों को कम नहीं करेगा।

घर खरीदार। घर खरीदारों ने अपने सिर पर छत पाने की उम्मीद में कड़ी मेहनत से अर्जित धन का योगदान करके मूल्यवान निवेश किया है। परिवार के लिए एक घर एक बुनियादी मानव लालसा है। विभिन्न संदर्भों में इस न्यायालय द्वारा इसे मौलिक संवैधानिक गारंटी के रूप में जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। घर खरीदारों के सभी वकीलों ने अदालत से ईमानदारी से अपील की है कि वे घर खरीदारों को परिसमापन प्रक्रिया की दया पर छोड़ने के बजाय पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करें। न्यायालय ने सार की सराहना की

उस याचिका में, एक ही समय में, कानून के अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को समझना।

26. अब, यह इस पृष्ठभूमि में है कि न्यायालय के लिए आई. बी. सी. के प्रावधानों को समझना और उनका मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। हाथ में मुद्दे पर एक असर। आई. बी. सी. का उद्देश्य समेकित करना है और

निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालिया होने के समाधान से संबंधित कानूनों में समयबद्ध संशोधन करना।

ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने का तरीका

व्यक्ति और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना। आई. बी. सी. के अधिनियमन ने निगमित दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और प्रक्रियाओं में एक आदर्श बदलाव पैदा किया है। आई. बी. सी. एक मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है।

"कब्जे में लेनदार" के लिए "कब्जे में देनदार" के मूल आधार में। समाधान प्रक्रिया बाजार संचालित है। समाधान 180 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया का संचालन करने के लिए पेशेवरों को सी. ओ. सी. द्वारा नियुक्त या प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

आई. आर. पी. और सी. ओ. सी. की क्षमता। आई. आर. पी. को सौंपी गई जिम्मेदारियों में निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन करना, विशेषज्ञों या पेशेवरों को शामिल करना, सी. ओ. सी. का गठन करना, जानकारी तैयार करना शामिल है। ज्ञापन, परिसमापन मूल्य और उद्यम मूल्य का निर्धारण, रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करना, समाधान आवेदकों को ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करने की अनुमति देना जिन्हें सी. ओ. सी. के समक्ष रखा जाएगा जहां आवेदक योग्य पाया जाता है (धारा 17,18,20,23,25,26,29 और 30)। सी. ओ. सी. में सभी वित्तीय लेनदार और इसके अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हैं।

धारा चित्रा शर्मा और ओ. आर. एस. के तहत व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां और लेनदारों के वर्ग।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

21 (6) और धारा 21 (6ए) (बी)। सी. ओ. सी. आई. आर. पी. के मामलों का प्रबंधन करते हुए महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

धारा 28 के तहत निगमित देनदार। सी. ओ. सी. में मतदान हिस्सेदारी के 66 प्रतिशत द्वारा अनुमोदित समाधान योजना आई. आर. पी. द्वारा अनुमोदन के लिए एन. सी. एल. टी. को प्रस्तुत की जाती है। जब एन. सी. एल. टी. संतुष्ट हो जाता है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित योजना धारा 30 (2) की आवश्यकता को पूरा करती है तो वह योजना को मंजूरी देगा, जो सभी हितधारकों (धारा 21,22,24,25,27,28 और 30) पर बाध्यकारी होगी।

घर खरीदारों की सुरक्षा:

27. आई. बी. सी., जैसा कि इसे मूल रूप से लागू किया गया था, में अचल संपत्ति में घर खरीदारों के हितों की पर्याप्त मान्यता नहीं थी।

परियोजनाएं। घर खरीदार महत्वपूर्ण हितधारक हैं। निगमित दिवाला समाधान की प्रक्रिया सीधे उनके अधिकारों और हितों को प्रभावित करती है। फिर भी आई. बी. सी., जैसा कि शुरू में तैयार किया गया था, उनकी रक्षा नहीं करता था। 6 जून 2018 को लागू हुए दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) अध्यादेश, 2018 द्वारा घर खरीदारों की चिंताओं को दूर करने की मांग की गई है। अध्यादेश के परिणामस्वरूप, घर खरीदारों को लाया जाता है

आई. बी. सी. के अंतर्गत वित्तीय लेनदारों के दायरे में।

धारा 3 (30) और (31) में "सुरक्षित लेनदार" और "प्रतिभूति ब्याज" शब्दों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" (30) " सुरक्षित लेनदार का अर्थ है एक ऐसा लेनदार जिसके पक्ष में प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है।

(31) " प्रतिभूति ब्याज का अर्थ है अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या संपत्ति का दावा, जो किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाया गया है या उसके लिए प्रदान किया गया है।

एक ऐसे लेन-देन द्वारा जो किसी दायित्व के भुगतान या निष्पादन को सुरक्षित करता है और जिसमें बंधक, शुल्क, परिकल्पना, असाइनमेंट और बोझ या कोई अन्य समझौता शामिल है या

'वित्तीय लेनदार' शब्द को धारा 5 (7) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: “ (7) “ "वित्तीय लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण दिया गया है।

कानूनी रूप से सौंपा गया या स्थानांतरित किया गया "[2018] 12 एस. सी. आर.

अभिव्यक्ति 'वित्तीय ऋण' को धारा 5 (8) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(8) " "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है। और इसमें शामिल हैं -

(च) किसी भी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता शामिल है, जिसका वाणिज्यिक प्रभाव है।

उधार लेना;

स्पष्टीकरण। -इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,

(i) किसी अचल संपत्ति परियोजना के तहत किसी आबंटित व्यक्ति से जुटाई गई किसी भी राशि को उधार लेने के व्यावसायिक प्रभाव वाली राशि माना जाएगा; और

((ii) "आबंटित" और "अचल संपत्ति परियोजना" शब्दों के अर्थ खंड (घ) और खंड (घ) में क्रमशः दिए गए होंगे। (अचल संपत्ति की धारा 2 (विनियमन और

विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16);

राष्ट्रीय ऋण की परिभाषा में लाए गए संशोधन के परिणामस्वरूप, अचल संपत्ति परियोजनाओं के तहत आवंटनकर्ताओं से जुटाई गई राशि को "उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव रखने वाली राशि" माना जाता है।

अचल संपत्ति परियोजनाओं में आबंटियों के लिए समझौतों को वैधानिक रूप से माना जाता है।

वित्तीय ऋण के रूप में कटौती। ऐसे आबंटियों को इस दायरे में लाया जाता है।

'वित्तीय लेनदारों' की परिभाषा।

28. आई. बी. सी. की धारा 7 निगमित समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऋणदाताओं के पक्ष में एक वैधानिक अधिकार बनाती है। धारा 7

इस प्रकार:

" 7. वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत। (1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, या वित्तीय लेनदार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति,

जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है] एक फाइल कर सकता है

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष किसी निगमित देनदार के विरुद्ध जब एक डिफ़ॉल्ट हुआ है।

TRA SHARMA और ORS। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चूक में न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार के लिए बल्कि किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

निगमित ऋणी का।

(2) वित्तीय लेनदार उप-धारा (1) के तहत ऐसे प्रपत्र और तरीके से आवेदन करेगा और उसके साथ ऐसा भी होगा शुल्क जो निर्धारित किया जाए।

प्रस्तुत करें - (ए) सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज किए गए डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड या ऐसा अन्य रिकॉर्ड या डिफ़ॉल्ट का सबूत जो निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ख) एक के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम

अंतरिम समाधान पेशेवर; और

(ग) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाएगा। उप-धारा (3) के तहत।

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान होता है कि -

(क) चूक हुई है और उप-धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है, और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकता है; या

(ख) चूक नहीं हुई है या उप-धारा (2) के तहत आवेदन अधूरा है या प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

आवेदन:

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आवेदक को अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए नोटिस देगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उप-धारा के तहत आवेदन स्वीकार करने की तारीख से शुरू होगी।

(5) .

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सूचित करेगा

(क) उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन वित्तीय

(ख) वित्तीय लेनदार को उप-धारा (5) के खंड (ख) के तहत आदेश, ऐसे ऋण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सात दिनों के भीतर। आवेदन, जैसा भी मामला हो "।

आई. बी. सी. के तहत वित्तीय लेनदार होने के नाते, अचल संपत्ति में आबंटित

सी. टी. एस. अनिवार्य रूप से सी. ओ. सी. का एक हिस्सा है। धारा 21 में शामिल है।

सी. ओ. सी. के गठन के लिए समर्थन। जहाँ तक सामग्री की बात है, खंड नीचे निकाला गया है:

" 21. ऋणदाताओं की समिति।

(1) अंतरिम समाधान पेशेवर निगमित देनदार के खिलाफ प्राप्त सभी दावों के मिलान और निर्धारण के बाद करेगा।

निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति के लिए लेनदारों की एक समिति का गठन किया जाता है।

.....

(3) उप-धारा (6) और (6ए) के अधीन रहते हुए, जहां निगमित देनदार पर दो या दो से अधिक वित्तीय लेनदारों का वित्तीय ऋण बकाया है -

किसी संघ या समझौते का हिस्सा, प्रत्येक ऐसा वित्तीय लेनदार

लेनदारों की समिति का हिस्सा होगा और उनके मतदान हिस्से का निर्धारण बकाया वित्तीय ऋणों के आधार पर किया जाएगा।

उन्हें।

(4) जहाँ कोई भी व्यक्ति वित्तीय लेनदार होने के साथ-साथ

((क) ऐसा व्यक्ति वित्तीय लेनदार होगा। निगमित देनदार द्वारा देय वित्तीय ऋण, और ऋणदाताओं की समिति में शामिल किया जाएगा, जिसके अनुपात में मतदान का हिस्सा होगा

(ख) ऐसे व्यक्ति को निगमित देनदार द्वारा देय परिचालन ऋण की सीमा तक एक परिचालन लेनदार माना जाएगा। ऐसे लेनदार को।

TRA SHARMA और ORS। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(6) जहां एक संघ व्यवस्था या सिंडिकेटेड सुविधा के हिस्से के रूप में विस्तारित वित्तीय ऋण की शर्तें सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करने के लिए एक एकल ट्रस्टी या एजेंट के लिए प्रदान करती हैं, प्रत्येक वित्तीय

लेनदार हो सकता है

(क) न्यासी या अभिकर्ता को अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति; (ख) लेनदारों की समिति में इस हद तक अपना प्रतिनिधित्व करें कि

उनके मतदान के हिस्से में से;

(ग) एक दिवाला पेशेवर (संकल्प के अलावा) नियुक्त करें।

पेशेवर) समिति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी कीमत पर

अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदारों का; या (घ) अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मताधिकार की सीमा तक करें।

एक या अधिक वित्तीय लेनदार संयुक्त रूप से या अलग-अलग।

[(6क) जहां कोई वित्तीय ऋण-(क) प्रतिभूतियों या जमाओं के रूप में है और वित्तीय ऋण की शर्तों में सभी वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए किसी न्यासी या अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, वहां ऐसा न्यासी या अभिकर्ता ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेगा। (बी) लेनदारों के एक वर्ग के लिए बकाया है जो संख्या से अधिक हो सकता है

खंड (ए) या उप-धारा (6) के तहत आने वाले लेनदारों के अलावा, अंतरिम समाधान पेशेवर सभी की सूची के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

वित्तीय लेनदार, जिसमें दिवालियापन का नाम होता है

अंतरिम समाधान पेशेवर के अलावा पेशेवर, अपने अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए जिन्हें द्वारा नियुक्त किया जाएगा

समिति की पहली बैठक से पहले प्राधिकरण का निर्णय लेना

लेनदारों का; (ग) जिनका प्रतिनिधित्व संरक्षक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा किया जाता है, वे व्यक्ति उनकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

वित्तीय लेनदार और खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) के तहत ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग लेंगे और प्रत्येक वित्तीय समिति की ओर से मतदान करेंगे। अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदार।

(7) बोर्ड उप-धारा (6) और (6ए) के तहत आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान का तरीका और मतदान के हिस्से का निर्धारण निर्दिष्ट कर सकता है।

वित्तीय लेनदार बकाया वित्तीय ऋण के अनुपात में मतदान हिस्से के हकदार हैं। विनियमन 16ए में वित्तीय प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के चयन के प्रावधान हैं।

कक्षा में टॉर्स। विनियम 16ए निम्नलिखित शब्दों में है:

" 16ए. अधिकृत प्रतिनिधि।

(1) अंतरिम समाधान पेशेवर दिवाला पेशेवर का चयन करेगा, जो सबसे अधिक वित्तीय विकल्पों में से एक है।

उप-विनियमन के तहत प्राप्त फॉर्म सी. ए. में श्रेणी में लेनदार (1) विनियमन 12 का, संबंधित वर्ग के लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना:

बशर्ते कि एक दिवालिया पेशेवर के रूप में कार्य करने का विकल्प

उप के तहत प्राप्त फॉर्म सी. ए. में अधिकृत प्रतिनिधि

विनियम 12 के विनियम (2) पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरिम समाधान पेशेवर पर लागू होगा

(4) अंतरिम समाधान पेशेवर संबंधित अधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की सूची प्रदान करेगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त।

(5) अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प पेशेवर, जैसा भी मामला हो, सूची के अद्यतन होने पर संबंधित अधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की एक अद्यतन सूची प्रदान करेंगे।

प्रतिनिधित्व करता है। (6) अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प

पेशेवर, जैसा भी मामला हो, वर्ग में अधिकृत प्रतिनिधि और लेनदारों के बीच संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधन प्रदान करेंगे।

TRA SHARMA और ORS। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(7) एक वर्ग में लेनदार का मतदान हिस्सा होगा वित्तीय ऋण का अनुपात जिसमें ब्याज शामिल है

आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जब तक कि एक अलग पक्षों के बीच दर पर सहमति हो गई है।

उसके द्वारा निम्नलिखित तरीके से, अर्थात्: - ऋणदाताओं की संख्या

प्रति बैठक शुल्क

समिति (रु.)

वर्ग का

10-100

15,000

101-1000

20,000

25,000

1000 से अधिक

(9) प्राधिकृत प्रतिनिधि कार्यसूची को प्रसारित करेगा -

एक वर्ग में लेनदार और कम से कम मतदान खिड़की की घोषणा करें

मतदान के निर्देश के लिए खिड़की खुलने से चौबीस घंटे पहले

और कम से कम बारह घंटे के लिए मतदान की खिड़की खुली रखें।

(जोर दिया गया)

एक वर्ग में एक लेनदार का मतदान हिस्सा आनुपातिक है

8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ऋण।

13 जुलाई 2018 को दिवाला और वित्त मंत्रालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है।

एक की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय विघटन बोर्ड

अनुभाग द्वारा शासित लेनदारों के वर्गों के लिए सेवानिवृत्त प्रतिनिधि

ए) आई. बी. सी. का। जहाँ तक सामग्री की बात है, परिपत्र इस प्रकार बताता है:

" 2. संहिता की धारा 21 (6 ए) (बी) को विनियमन 16 ए के साथ पढ़ा जाता है

अधिकृत माध्यम से वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि, जैसा कि ऊपर पैरा 1 में विस्तृत है, और इसलिए हैं,

अन्यथा सी. ओ. सी. में प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, इस सरलीकृत का उपयोग करता है प्रक्रिया के चरण की परवाह किए बिना तंत्र। संकल्प

पेशेवर, जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं और कर्तव्यों का पालन करते हैं

जैसा कि अंतरिम समाधान पेशेवर को निहित या प्रदान किया गया है संहिता की धारा 23 (2) के माध्यम से प्रतिनिधित्व की सुविधा होगी।

प्राधिकृत प्रतिनिधि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां भी विनियमों के विनियम 39 (3) के तहत समाधान योजना की मंजूरी कम से कम 15 दिन दूर है, समाधान पेशेवर शीघ्रता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दिवाला का विकल्प प्राप्त करेगा। वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने और इस तरह से आगे बढ़ने के लिए एक वर्ग में लेनदारों से पेशेवर

विनियमों के विनियम 16 ए में निर्दिष्ट। जेएएल का मामलाः

29. जे. ए. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री एफ. एस. नरीमन ने इस अदालत के समक्ष प्रस्तुतियों का एक नोट प्रस्तुत किया जिसमें अनुरोध किया गया था कि

विकासकर्ताओं के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। जे. ए. एल. को 5 लाख 57 हजार व्यक्तिगत शेयरधारकों और पंद्रह निदेशकों (आठ स्वतंत्र निदेशकों और दो नामित निदेशकों सहित) के साथ एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कहा जाता है। ऋणदाता)। 2003 में, जे. ए. एल. को नोएडा से आगरा तक एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के अधिकार आवंटित किए गए थे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौता किया गया था। एक विशेष प्रयोजन वाहन, जे. आई. एल. की स्थापना की गई थी। बैंकों के एक संघ से वित्त प्राप्त किया गया था-आईडीबीआई बैंक प्रमुख बैंक होने के नाते-आंशिक रूप से

नोएडा-आगरा क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि का गिरवी और जे. ए. एल. की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का गिरवी। एक आवास योजना की परिकल्पना की गई थी

अधिग्रहित भूमि के दो स्थानों पर अचल संपत्ति परियोजनाओं के निर्माण के लिएः 1,162 विश टाउन, नोएडा में एकड़ और मिर्जापुर में 1,355 एकड़। जे. ए. एल. ने कहा है कि उसे अभी भी 21,532 घरों पर कब्जा देना है। खरीदार। जे. ए. एल. के अनुसारः

(i) 11,336 इकाइयों/फ्लैटों वाले 106 टावरों (शेष 228 टावरों में से) का निर्माण 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक पूरा हो गया है, और
((ii) 6,500 इकाइयों वाले 50 टावरों का निर्माण किया जाएगा।

(iii) 72 टावरों का निर्माण 25 प्रतिशत से भी कम पूरा हुआ है। उपरोक्त अपेक्षाओं और प्रतिबद्धताओं के आधार पर

जुलाई 2018 से हर महीने शेष 21,532 घर खरीदारों में से लगभग 500 घर खरीदारों को समायोजित करें।

जे. ए. एल. ने यह आश्वासन देने की कोशिश की है कि वह अपनी परियोजनाओं के निर्माण के लिए मौजूदा श्रमिकों की संख्या को दोगुना कर देगा।

जे. ए. एल. ने चित्र शर्मा और ओ. आर. एस. भी कहा है। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कि वह इस न्यायालय की रजिस्ट्री में 600 करोड़ रुपये के पोस्ट-डेट चेक जमा करेगा। हालाँकि, यह इस शर्त के अधीन है कि न्यायालय को मध्य प्रदेश के रीवा में अपनी सीमेंट योजना सहित "चिन्हित सीमेंट परिसंपत्तियों" का निपटान करने की अनुमति देनी चाहिए। जे. ए. एल. ने ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए इलाहाबाद में एन. सी. एल. टी. को एक व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने के लिए उसके समक्ष दायर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है, जो 32 लेनदारों द्वारा हस्ताक्षरित और स्वीकार किए गए एक प्रमुख पुनर्गठन समझौते के अनुसार प्रस्तावित है। जे. ए. एल. 600 करोड़ रुपये के पोस्ट-डेटेड चेक जमा करने के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही पर रोक जारी रखना चाहता है। जे. ए. एल. ने आई. आर. पी. को प्रबंधन में बने रहने की अनुमति देने वाले इस न्यायालय के निर्देश पर भी रोक लगाने की मांग की है।

30. श्री एफ. एस. नरीमन द्वारा जे. ए. एल. की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विद्वान वरिष्ठ वकील हम इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। जैसा कि हम स्पष्ट करेंगे, जे. ए. एल. की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करने से आई. बी. सी. के अनुशासन के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा और कानून के हितकारी प्रावधानों को शून्य कर देगा। न्यायालय को स्थिति स्पष्ट करने में सक्षम बनाने के लिए, एक संदर्भ आवश्यक है। आई. बी. सी. की धारा 29 ए के प्रावधानों के लिए जो निम्नानुसार है:

29 ए. समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं व्यक्ति। एक व्यक्ति एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, या कोई

ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति-(ए) एक अविमुक्त दिवालिया है;

(ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक जानबूझकर चूककर्ता है,

1949 (10 1949 का);

(ग) समाधान योजना जमा करते समय प्रबंधन के तहत एक खाता, या एक कॉर्पोरेट देनदार का खाता है या

ऐसे व्यक्ति का नियंत्रण या जिसका ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक है, बैंकिंग विनियमन के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत

अधिनियम, 1949 (1949 का 10) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत जारी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के दिशानिर्देश, और कम से कम एक वर्ष की अवधि ऐसे वर्गीकरण की तारीख से निगम के शुरू होने की तारीख तक समाप्त हो गई है।

निगमित देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया:

बशर्ते कि व्यक्ति एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति [2018] 12 एस. सी. आर. के साथ सभी अतिदेय राशियों का भुगतान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस पर ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति से संबंधित शुल्क

समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले खाते:

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय इकाई है और निगमित देनदार का संबंधित पक्ष नहीं है।

स्पष्टीकरण I-इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति में वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल नहीं होगी, यदि वह निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है और केवल निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष है। दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने का लेखा।

(घ) कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है - (i) बारहवें के तहत निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक के लिए

अनुसूची; या

बल: बशर्ते कि यह खंड किसी व्यक्ति पर उसकी रिहाई की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद लागू नहीं होगा।

कारावास:

बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण I के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा; (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है:

TRA SHARMA और ORS। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

बशर्ते कि यह खंड किसी संबद्ध मामले के संबंध में लागू नहीं होगा।

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजारों तक पहुँचने से प्रतिबंधित है; (छ) एक प्रवर्तक या एक निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में रहा है जिसमें एक अधिमान्य लेनदेन, कम मूल्य का लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी का लेनदेन हुआ है और जिसके संबंध में एक आदेश दिया गया है।

इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा:

बशर्ते कि यह खंड तब लागू नहीं होगा जब कोई तरजीही लेन-देन,

कम मूल्य वाला लेन-देन, जबरन ऋण लेन-देन या अधिग्रहण से पहले धोखाधड़ी का लेनदेन हुआ है

एक के अनुसार समाधान आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार

इस संहिता के तहत या वित्तीय क्षेत्र के नियामक या अदालत द्वारा अनुमोदित योजना या योजना के अनुसार अनुमोदित समाधान योजना, और इस तरह के समाधान आवेदक ने अन्यथा योगदान नहीं दिया है

तरजीही लेन-देन, कम मूल्य वाला लेन-देन, जबरन वसूली

(ज) एक निगमित देनदार के संबंध में एक लेनदार के पक्ष में एक गारंटी निष्पादित की है जिसके खिलाफ दिवालियापन के लिए एक आवेदन है ऐसे लेनदार द्वारा किया गया संकल्प इस संहिता के तहत स्वीकार किया गया है और ऐसी गारंटी लेनदार द्वारा लागू की गई है और

पूर्ण या आंशिक रूप से अवैतनिक रहता है];

(ज) भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में किसी कानून के तहत; या (जे) एक संबंधित व्यक्ति है जो खंड (ए) से (आई) के तहत पात्र नहीं है।

स्पष्टीकरण 6 [1]। — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति

" जुड़ा हुआ व्यक्ति "का अर्थ है ((i) कोई भी व्यक्ति जो प्रस्ताव आवेदक का प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में है; या

((ii) कोई भी व्यक्ति जो प्रवर्तक या प्रबंधन में होगा या

निगमित ऋणी के व्यवसाय का नियंत्रण

((iii) खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की धारक कंपनी, सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संबंधित पक्ष:

बशर्ते कि स्पष्टीकरण I के खंड (iii) में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय इकाई है और निगमित देनदार का संबंधित पक्षकार नहीं है: बशर्ते कि "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति नहीं होगी

इसमें वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल है, यदि वह निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है और निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष है, जो दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से पहले ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने के कारण है।

स्पष्टीकरण II-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय इकाई" का अर्थ निम्नलिखित संस्थाएं होंगी जो ऐसे मानदंडों को पूरा करती हैं या

केंद्र सरकार वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से इस संबंध में निम्नलिखित शर्तों को अधिसूचित कर सकती है: (क) एक अनुसूचित बैंक;

(ख) विदेशी केंद्रीय बैंक या प्रतिभूतियों द्वारा विनियमित कोई भी इकाई।

बाजार नियामक या भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र के अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामक जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल मानकों के अनुरूप है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय ज्ञापन के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है।

समझने की;

(ग) कोई भी निवेश वाहन, पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या विदेशी उद्यम पूंजी।

निवेशक, जहाँ शर्तों का वही अर्थ होगा जो उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण या प्रतिभूति जारी करना) के विनियमन 2 में सौंपा गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत बनाए गए विनियम, 2017;

(घ) प्रतिभूतिकरण की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, चित्रा शर्मा और ओ. आर. एस. के साथ पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश कोष।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(च) व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियां जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

सरकार "। 31. संसद ने आई. बी. सी. में धारा 29 ए को पेश किया है।

विशिष्ट उद्देश्य। धारा 29 ए के प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

कि अन्य बातों के अलावा, निगमित देनदार की दिवालियापन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति समाधान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, जिसे अंततः 2018 के अधिनियम 8 के रूप में अधिनियमित किया गया था, से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इस प्रकार कहा गया है:

" 2. दिवाला समाधान और परिसमापन के लिए प्रावधान संहिता में निगमित व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं किया था

समाधान योजना प्रस्तुत करने या अधिग्रहण में भाग लेने से परिसमापन के समय किसी कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रक्रिया।

चिंता व्यक्त की गई है कि जो लोग, उनके साथ

कदाचार ने कंपनियों के चूक में योगदान दिया या हैं

अन्यथा अवांछनीय, कमी के कारण इस स्थिति का दुरुपयोग हो सकता है संकल्प में भाग लेने के लिए निषेध या प्रतिबंध

निगमित देनदार। यह निर्धारित प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है। कोड में नीचे के रूप में बेईमान व्यक्ति होगा

लेनदारों की कीमत पर पुरस्कृत होते हुए देखा जाता है। इसके अलावा,

यह जांचने के लिए कि अवांछनीय व्यक्ति जो

इनके अभाव में अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

एक प्रावधान, जिम्मेदारी भी समिति को सौंपी जा रही है

ऋणदाताओं का बकाया राशि चुकाने के लिए एक उचित अवधि देना

और पात्र बनें। "

(जोर दिया गया)

संसद स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर चिंतित थी कि व्यक्ति

जिनके कदाचार ने बोलीदाता कंपनियों की ओर से चूक में योगदान दिया है, एक प्रविष्टि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति का दुरुपयोग करते हैं। संसद का विचार था कि ऐसे व्यक्तियों को संकल्प प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के लिए

अधिनियम के हितकारी उद्देश्य और उद्देश्य को कमजोर करता है। यह इस पृष्ठभूमि में था कि धारा 29 ए ने अब उन व्यक्तियों की एक सूची निर्दिष्ट की है जो समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं हैं।

32. धारा 29 ए के खंड (सी) और (जी) एक बाधा के रूप में काम करेंगे

समाधान प्रक्रिया में भाग लेने वाले जेएएल/जेआईएल के प्रवर्तक। खंड (ग) के तहत, एक व्यक्ति जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय [2018] 12 एस. सी. आर.

योजना में एक ऐसा खाता होता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक या वित्तीय नियामक के दिशानिर्देशों के तहत गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक निर्धारित अवधि के लिए भागीदारी पर प्रतिबंध के अधीन है। खंड (छ) के तहत, एक व्यक्ति जो एक प्रवर्तक रहा है या एक कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में है जिसमें एक तरजीही लेनदेन, कम मूल्य वाला लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी लेनदेन हुआ है और जिसके संबंध में आईबीसी के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक आदेश दिया गया है, भाग लेने से प्रतिबंधित है। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा 29 ए व्यापक लोक हित में और प्रभावी निगमित शासन की सुविधा के लिए अधिनियमित की गई है। संसद

अधिनियम में एक खामी को ठीक किया जिसने सी. आई. आर. पी. में पूर्ववर्ती प्रबंधनों को पिछले दरवाजे से प्रवेश करने की अनुमति दी। आई. बी. सी. की धारा 30, जैसा कि संशोधित किया गया है, यह भी स्पष्ट करती है कि धारा 29 ए के तहत अयोग्य व्यक्ति की समाधान योजना पर सी. ओ. सी. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा:

" 30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। .....

(4) लेनदारों की समिति द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दी जा सकती है कम से कम 4 [छियासठ] प्रतिशत का मत। वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से की, इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद, और

ऐसी अन्य आवश्यकताएँ जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं:

समाधान योजना, शुरू होने से पहले प्रस्तुत की गई दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (अध्यादेश। 2017 का 7), जहां समाधान आवेदक धारा 29 ए के तहत अयोग्य है और समाधान पेशेवर को एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जहां कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ:

बशर्ते कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29 ए के खंड (सी) के तहत अयोग्य है, समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक नहीं हो, धारा 29 ए के खंड (सी) के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी: बशर्ते कि दूसरे परंतुक में कुछ भी धारा 12 की उप-धारा (3) के परंतुक और निगमित दिवालियापन के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

समाधान प्रक्रिया निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

उस उप-धारा में]:

चित्रा शर्मा और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 द्वारा संशोधित धारा 29ए में पात्रता मानदंड उस समाधान आवेदक पर लागू होंगे जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है।"

33. घर खरीदारों की ओर से श्री आनंद ग्रोवर ने निम्नलिखित आधारों पर जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध किया है: (i) जे. ए. एल. को दिए गए ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो जे. ए. एल. को समाधान आवेदक/नए के रूप में अयोग्य बनाता है।

आई. बी. सी. की धारा 29ए (बी) के तहत प्रवर्तक;

(ii) धारा 29ए (बी) के अलावा, जेएएल को आईबीसी की धारा 29ए (जी) के तहत भी अयोग्य ठहराया जाता है। धारा 29ए (जी) में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो

धोखाधड़ी वाले लेन-देन में लगे व्यक्ति को किसी अन्य कंपनी के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर से धोखाधड़ी वाले लेन-देन में शामिल हो सकता है। मई 2018 में, एन. सी. एल. टी. इलाहाबाद ने जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में जे. आई. एल. की लगभग 750 एकड़ भूमि को गिरवी रखने से जुड़े एक धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अलग कर दिया। यह बंधक बिना किसी के था।

750 एकड़ भूमि की कीमत 5,000 करोड़ रुपये हो सकती है। मामला अब एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष है, जिसने इस संबंध में विशेष रूप से एक मुद्दा तैयार किया है।

(iii) आर. बी. आई. पहले से ही इस न्यायालय के समक्ष जे. ए. एल. के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की मांग कर रहा है। जे. ए. एल. का प्रस्ताव, हालांकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने की आड़ में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य जे. ए. एल. के दिवालिया होने से बचने और जे. आई. एल. पर नियंत्रण हासिल करने के दोहरे लाभ हैं, जिससे जे. ए. एल. की दिवालिया कार्यवाही के लिए आर. बी. आई. के आवेदन के साथ-साथ आई. बी. सी. की धारा 29ए भी विफल हो जाती है।

(iv) जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा आवास परियोजनाओं को पूरा करने में अपनी विफलता का बहाना बनाने के लिए अनुरोध किए गए कारण जैसे कि जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा दिए गए स्थगन आदेश।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया है क्योंकि कोई रोक नहीं थी। ऐसा ही एक आदेश एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा 2 मई 2016 को डेवलपर्स टाउनशिप प्रॉपर्टी ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम में पारित किया गया था। जयप्रकाश

एसोसिएट्स लिमिटेड (2015 का उपभोक्ता मामला संख्या 1479);

(v) जे. ए. एल. का तर्क कि उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा

एन. जी. टी. द्वारा लगाए गए कथित रोक का कारण स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि एन. जी. टी. द्वारा रोक केवल [2018] 12 एस. सी. आर. के बिना कब्जा सौंपने पर थी।

(vi) 9 अगस्त 2017 से सी. आई. आर. पी. के लंबित रहने के दौरान, आई. आर. पी. के तत्वावधान में निर्माण कार्य किया गया था। जे. ए. एल. केवल एक ठेकेदार था।

(vii) जे. ए. एल. का दावा कि फ्लैट वितरित किए गए हैं, एक खंडित दावा है क्योंकि फ्लैट अपूर्ण चरणों में वितरित किए गए हैं और आवंटन पत्रों के अनुसार नहीं हैं। फर्श आरामदायक नहीं है, दरवाजे और खिड़कियां गायब हैं, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं और कब्जे का प्रस्ताव व्यवसाय प्रमाण पत्र के बिना किया जा रहा है।

(ix) अनुबंधों के तहत, जे. ए. एल. और जे. आई. एल. फ्लैटों को वितरित करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं। अगर जे. ए. एल. फ्लैटों की डिलीवरी के बारे में गंभीर होता, तो वर्तमान स्थिति पैदा नहीं होती। इसके अलावा, जे. ए. एल. जे. आई. एल. की दिवालिया प्रक्रिया से बचता और घर खरीदारों को दिवालिया होने की अनिश्चितताओं में नहीं डालता। (x) जे. ए. एल. की साख के बारे में गंभीर संदेह हैं जिसने जे. आई. एल. से धन को अपने अन्य व्यवसायों की ओर मोड़ दिया है। आवेदक

संघों ने जे. आई. एल. की वित्तीय लेखा परीक्षा करने के लिए ए. एस. ए. वित्तीय सेवाओं को नियुक्त किया था और लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि जे. ए. एल. ने जे. आई. एल. से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया होगा।

(xi) जे. ए. एल. गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। यह बात साफ है।

निम्नलिखित तथ्यों से:

(क) जे. ए. एल. ने अभी तक इस न्यायालय के उस आदेश का सम्मान नहीं किया है जिसमें उसे घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया था।

जे. ए. एल. ने 11 सितंबर 2017 से लगभग 10 महीने की समाप्ति के बाद 2,000 करोड़ रुपये में से केवल 750 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो इस न्यायालय के प्रारंभिक आदेश की तारीख थी।

(ख) जे. ए. एल. इस न्यायालय के दिनांकित आदेश के अनुसार 15 जून 2018 तक 1,000 करोड़ रुपये की नवीनतम किस्त का भुगतान करने में भी विफल रहा है।

16 मई 2018; चित्रा शर्मा और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(ग) जे. ए. एल. लगभग 30,000 करोड़ रुपये की सीमा तक 30 से अधिक बैंकों का चूककर्ता है। जे. ए. एल. ने सावधि जमा, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और नोएडा प्राधिकरण को भुगतान में भी चूक की है। (घ) नवीनतम प्रस्ताव में भी, 600 करोड़ रुपये जमा करने का प्रस्ताव समय के साथ फैला हुआ है जो दर्शाता है कि जेएएल के पास कोई संसाधन नहीं है; और

(ई) श्रमिकों की संख्या को 4,000 से दोगुना करके 8,000 करने के प्रस्ताव का मतलब केवल प्रति श्रमिक 17 श्रमिकों की संख्या को दोगुना करना होगा।

प्रति टावर 35 श्रमिकों के लिए (8,000 द्वारा बनाए जाने वाले 228 टावर)

कर्मचारी)। यह 4 फ्लैटों (8,000 श्रमिकों द्वारा 228 टावरों में 21,532 फ्लैट) की प्रत्येक मंजिल में 2 श्रमिकों के बराबर होगा। इस दर पर फ्लैटों को पूरा होने में कई साल लग सकते हैं।

34. अन्य विद्वान वकीलों द्वारा घर खरीदारों की ओर से इसी तरह की प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है।

35. धारा 29 ए के तहत प्रतिबंध जेएएल/जेआईएल को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने से रोक देगा। इसके अलावा, अदालत के ध्यान में लाए गए तथ्यों में कोई संदेह नहीं है कि जे. ए. एल./जे. आई. एल. में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता और संसाधनों की कमी है। उन्हें समाधान की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने से अधिनियम के प्रावधान निरर्थक हो जाएंगे। न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। 36. लेकिन जे. ए. एल./जे. आई. एल. की ओर से श्री एफ. एस. नरीमन, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समय सीमा समाप्त होने के साथ

सी. आई. आर. पी. के लिए आई. बी. सी. में निर्धारित, एकमात्र विकल्प जो अब बचा रहेगा वह है निगमित देनदार को समाप्त करना। श्री नरीमन ने कहा कि परिसमापन घर खरीदारों के हित में नहीं है। उस स्थिति में, उनके प्रस्तुतिकरण में, एकमात्र तरीका यह होगा कि आई. बी. सी. के प्रावधानों के बाहर एक व्यवस्था की परिकल्पना करके परिसमापन के परिणाम को दूर किया जाए, न कि इसके तहत। यह प्रस्तुत किया गया है कि 79 टावरों में घर खरीदारों को 11,200 से अधिक घर प्रदान करने वाली एक चल रही परियोजना को, जहां तक संभव हो, बीच में नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे शेष 21,532 खरीदारों के हित प्रभावित होंगे जो कब्जे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह आग्रह किया गया है कि उनके अधिकारों को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत मान्यता दी गई है और संरक्षित किया गया है। श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया

कि जब तक इस न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र पेशेवरों का एक समूह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि जे. आई. एल./जे. ए. एल. के लिए शेष काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करना

वित्तीय रूप से बिल्कुल भी व्यवहार्य नहीं है, तब तक विकासकर्ताओं के रूप में उनकी भूमिका को कम नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इसे [2018] 12 एस. सी. आर. प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय के निर्देशों के तहत वेब पोर्टल के खुलने के बाद, केवल 8 प्रतिशत घर खरीदारों ने धनवापसी का विकल्प चुना है, जबकि 92 प्रतिशत ने धनवापसी का दावा नहीं करने का विकल्प चुना है, जिससे जे. आई. एल./जे. ए. एल. की परियोजना को पूरा करने की क्षमता में विश्वास का संकेत मिलता है। जे. आई. एल. के पास बैंक मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा 17,116 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिन्हें उन्हें प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया गया था और यहां तक कि संकट मूल्य भी 14,548 करोड़ रुपये है। श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया कि जे. आई. एल. और जे. ए. एल. के वित्तीय लेनदारों के दो समूहों में सेः (i) जे. आई. एल. के लेनदारों का नेतृत्व आई. डी. बी. आई. बैंक करता है, जिसके अलावा संघ में 12 अन्य बैंक हैं।

(ii) जे. ए. एल. के वित्तीय लेनदार व्यवस्था की योजना के लिए एन. सी. एल. टी. के औपचारिक आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, जिस पर इसके सभी 32 द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

एक मास्टर पुनर्गठन व्यवस्था के तहत लेनदार।

37. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि घर खरीदारों की ओर से पेश वकील ने जे. आई. एल./जे. ए. एल. के प्रस्ताव का समान रूप से विरोध किया है। द.

घर खरीदारों ने आग्रह किया है कि उन्हें डेवलपर्स द्वारा अधर में छोड़ दिया गया है जो समय पर फ्लैट आवंटित करके अपने अनुबंध संबंधी दायित्व को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। 38. आई. आर. पी. की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पराग त्रिपाठी ने कहा कि अनिवार्य रूप से अदालत के पास दो विकल्प हैं। सबसे पहले

विकल्प यह होगा कि आई. बी. सी. में निर्दिष्ट 270 दिनों की समय अवधि को बढ़ाकर निगमित दिवालियापन की प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाए ताकि एक समाधान की संभावना पर नए सिरे से विचार किया जा सके जो अब संशोधित आई. बी. सी. के तहत घर खरीदारों के हितों को ध्यान में रखता। दूसरा विकल्प, यह आग्रह किया गया था कि इस न्यायालय के लिए, अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपने निर्देशों और पर्यवेक्षण के तहत एक समिति नियुक्त करना होगा। समिति एक ऐसे प्रस्ताव की संभावना का पता लगाएगी जो निगमित देनदार के परिसमापन की आवश्यकता को दूर करेगा। दूसरा विकल्प जो आई. आर. पी. के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तावित किया गया है, श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त प्रस्तुतियों का आधार है। जैसा कि हमने देखा है, श्री नरीमन ने आग्रह किया कि चित्रा शर्मा और ओ. आर. एस. के लिए आई. बी. सी. में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

समाधान प्रक्रिया को पूरा करने का एकमात्र उपलब्ध विकल्प आई. बी. सी. के प्रावधानों के बाहर आगे बढ़ना है।

39. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करते हुए, मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले सी. आई. आर. पी.

एन. सी. एल. टी. द्वारा कार्यवाही को स्वीकार करने के आदेश के बाद 9 अगस्त 2017 को इसकी शुरुआत की गई। सी. आई. आर. पी. के समापन के लिए 180 दिनों की अवधि 6 फरवरी 2018 को समाप्त हो गई और विस्तारित अवधि 12 मई 2018 को समाप्त हो गई। जब सी. आई. आर. पी. शुरू किया गया था और 270 दिनों की अवधि समाप्त होने तक, घर खरीदारों को आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत वित्तीय लेनदारों का दर्जा नहीं था। सी. ओ. सी. में उनके पास कोई वैधानिक मतदान अधिकार नहीं था। इस न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के तहत, एक व्यवहार्य

एक को नियुक्त करके व्यवस्था करने की मांग की गई थी

सी. ओ. सी. पर घर खरीदारों के प्रतिनिधि, ताकि उनके हितों को ध्यान में रखा जा सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि घर खरीदारों की वित्तीय स्थिति की वैधानिक मान्यता के अभाव में

लेनदारों, कानून ने सी. ओ. सी. में उन्हें वास्तविक और मूल अधिकारों की अनुमति नहीं दी। ये वैधानिक अधिकार अध्यादेश द्वारा लाए गए हैं ताकि अचल संपत्ति परियोजना में घर खरीदारों के महत्वपूर्ण हितों को पहचाना जा सके और उन्हें दिवालिया समाधान प्रक्रिया में वैधानिक दर्जा दिया जा सके। दुर्भाग्य से उस समय तक

अध्यादेश 6 जून 2018 को अस्तित्व में आया, 270 दिनों की अवधि समाप्त हो गई थी; लक्षदीप की समाधान योजना को अस्वीकार कर दिया गया था और आई. आर. पी. ने एन. सी. एल. टी. को सूचित किया कि 12 मई 2018 को 270 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर किसी भी समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। को ध्यान में रखते हुए

भौतिक परिवर्तन जो अध्यादेश द्वारा आई. बी. सी. के संशोधन द्वारा लाया गया है और यह तथ्य कि यह न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही में रहा है कि घर खरीदार सुरक्षित हैं, हमारा विचार है कि यह उचित है और सुरक्षित करने के लिए पूर्ण न्याय करना है।

सभी संबंधित लोगों के हित कि सी. आई. आर. पी. को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और घर खरीदारों को शामिल करने के लिए संशोधित प्रावधानों के अनुसार सी. ओ. सी. का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का सहारा लेना आवश्यक होगा। संसद ने निस्संदेह प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 180 दिनों की अवधि और 90 दिनों की विस्तारित अवधि प्रदान की है। लेकिन वर्तमान मामले में एक अजीब स्थिति

पैदा हो गई है जिसके परिणामस्वरूप घर खरीदारों की स्थिति जो 6 जून 2018 से पहले मान्यता प्राप्त नहीं थी, अब स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गई है।

संशोधन अध्यादेश के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त। आई. आर. पी. के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सी. ओ. सी. में जिसे [2018] 12 एस. सी. आर. के तहत पुनर्गठित किया जाएगा।

ताकि उनके हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके। इसके अलावा, इस न्यायालय को आई. बी. सी. के अनुशासन का पालन करना चाहिए जिसे संसद द्वारा विशेष रूप से निगम के संकल्प को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। दिवालिया। निगमित दिवालियापन से जुड़े मामलों के लिए विशेषज्ञ निर्धारण की आवश्यकता होती है। विधायिका ने विशिष्ट प्रावधान किए हैं जिनकी परिकल्पना जनहित में और अच्छे निगमित शासन की सुविधा के लिए की गई है।

न्यायालय को समाधान प्रक्रिया की जटिलताओं की निगरानी का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। आई. बी. सी. के बाहर समाधान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए न्यायालय के श्री नरीमन (और श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित दो विकल्पों में से एक) के सुझाव को स्वीकार करने से न्यायालय वित्तीय विशेषज्ञता के जटिल मामलों का मूल्यांकन करने के एक अपरिहार्य बोझ में शामिल हो जाएगा, जिस पर संसद ने विशिष्ट तंत्र बनाने के लिए कानून बनाया है। हमारा दृढ़तापूर्वक यह विचार है कि न्यायालय के लिए सी. आई. आर. पी. की देखरेख करने और समिति के कार्य की निगरानी का कार्य संभालने के लिए एक समिति नियुक्त करना उचित नहीं होगा। हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि आई. बी. सी. में निर्धारित तंत्रों को न्यायिक निर्देशों के तहत एक तंत्र के साथ प्रतिस्थापित करके उनका स्थान न लिया जाए। हमारे विचार में इस तरह की कार्रवाई कानून के शासन के तहत अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगी। इसलिए, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग वर्तमान स्तर पर 9 अगस्त 2017 के आदेश द्वारा आई. आर. पी. की नियुक्ति के चरण से समाधान प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के सीमित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। हम ऊपर ऐसा करने के कारण प्रस्तुत कर चुके हैं। उनमें से प्रमुख तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में 270 दिनों की अवधि अध्यादेश से पहले समाप्त हो गई थी, जिसमें घर खरीदारों को वित्तीय के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।

ऋणदाता अस्तित्व में आए। इन परिस्थितियों में, क़ानून द्वारा निर्धारित अवधि को और 180 दिनों तक पुनर्जीवित करना आवश्यक होगा।

इस आदेश की तारीख से शुरू होता है। इस अवधि के दौरान, आई. आर. पी. हर तरह से आई. बी. सी. के प्रावधानों का नए सिरे से पालन करेगा। वित्तीय लेनदारों के रूप में आबंटियों की वैधानिक स्थिति को लागू करने के लिए आई. बी. सी. के संशोधित प्रावधानों के अनुसार एक नई सी. ओ. सी. का गठन किया जाना चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिन तीन बोलीदाताओं की बोलियां आई. आर. पी. द्वारा योग्य पाई गई थीं, उनके अलावा आई. आर. पी. के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष पसंद के व्यापक क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने का अधिकार होगा। इस प्रक्रिया में,

इस कार्यवाही में हस्तक्षेप करने वालों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर भी सी. ओ. सी. द्वारा नए सिरे से विचार किया जा सकता है। हम बोलियों चित्रा शर्मा और ओआरएस के गुण-दोष का मूल्यांकन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

बोली लगाने वालों द्वारा प्रस्तुत किया गया जो मैदान में रह गए थे, जिनमें से दो ने हस्तक्षेप किया है। सभी बोलियों को आई. बी. सी. के अनुशासन का पालन करना चाहिए। हालाँकि, हमने जे. आई. एल. या जे. ए. एल. और पूर्व प्रवर्तकों को इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। उनकी भागीदारी है धारा 29 ए द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध और हम कोई भी अपवाद करने से इनकार करते हैं जो आई. बी. सी. में किए गए एक हितकारी और स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन करेगा।

धनवापसी की मांग करने वाले घर खरीदारों को इस राशि के आनुपातिक वितरण की सुविधा के लिए अंतरिम निर्देश जारी करना। हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि धन की वापसी की मांग करने वाले घर खरीदारों के दावे पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाना चाहिए। फिर भी, याचिका पर और संतुलन पर हमारे चिंतित विचार को देखते हुए, हम एक से अधिक कारणों से इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। सबसे पहले, इस दौरान

सी. आई. आर. पी. की विचाराधीनता, कानून के मामले के रूप में, न्यायालय के लिए वित्तीय लेनदारों के एक विशेष वर्ग को किए जा रहे तरजीही भुगतान का निर्देश देना अस्वीकार्य होगा, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। वर्तमान में, हम इस सवाल को खुला छोड़ते हैं कि क्या घर खरीदार असुरक्षित लेनदार हैं (जैसा कि श्री त्रिपाठी ने आग्रह किया था) या सुरक्षित लेनदार हैं (जैसा कि उनकी ओर से पेश वकील ने आग्रह किया था)। धनवापसी की मांग करने वाले घर खरीदारों को 750 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण करना स्पष्ट रूप से अनुचित होगा और सुरक्षित लेनदारों के साथ अन्याय होगा क्योंकि यह लेनदारों के एक वर्ग के लिए तरजीही संवितरण के बराबर होगा। एक बार जब हम आई. बी. सी. के अनुशासन का सहारा ले लेते हैं, तो यह आवश्यक है कि समाधान प्रक्रिया के समापन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसके वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए। दूसरा, जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं वर्तमान में, न्यायमित्र द्वारा वेब पोर्टल खोले जाने के बाद, यह संकेत मिलता है कि 8 प्रतिशत घर खरीदारों ने अपने धन की वापसी की मांग की है, जबकि 92 प्रतिशत स्पष्ट रूप से उन घरों पर कब्जा करना पसंद करेंगे जो उन्होंने खरीदे हैं। हम 92 प्रतिशत घर खरीदारों के हितों की परवाह नहीं कर सकते, जिनमें से कई ने घर सुरक्षित करने के लिए ऋण भी लिया होगा। यदि घर खरीदारों को 750 करोड़ रुपये (अर्जित ब्याज के साथ) का कोष वितरित किया जाता है जो धनवापसी चाहते हैं तो उन्हें एक वैध शिकायत होगी। समाधान योजना के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए आई. बी. सी. द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना है। वित्तीय लेनदारों के एक वर्ग को धनवापसी की अनुमति देना [2018] 12 एस. सी. आर. में नहीं होगा।

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत तैयार की जा रही समग्र योजना का समग्र हित। तीसरा, सुनवाई के दौरान, न्यायालय को सुरक्षित लेनदारों की चिंताओं से अवगत कराया गया है, जिनमें से प्रमुख आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है। इस न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलों में, आई. डी. बी. आई. बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि आई. बी. सी. के अधिनियमन का एक प्रमुख कारण ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना था। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण को जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए सुरक्षित किया गया है। यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सार्वजनिक जमाओं में उत्पन्न होता है, जो अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। चौथा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति के लिए इस अदालत का रुख किया है। संसद ने बैंकिंग अधिनियम लागू किया

धारा 35 एए लागू करके विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2017 और

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 एबी। यह संशोधन केंद्र सरकार को किसी भी बैंकिंग कंपनी को दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिकृत करने का अधिकार देता है। आई. बी. सी. के तहत समझे गए डिफ़ॉल्ट का सम्मान। ऐसा आदेश केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2017 को जारी किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक सलाहकार समिति (आई. ए. सी.) का गठन किया जिसमें मुख्य रूप से इसके स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। आई. ए. सी. ने उन खातों पर विचार किया जिन्हें 31 मार्च 2017 तक बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष 500 जोखिमों में से आंशिक या पूर्ण रूप से गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पहले कदम के रूप में, आई. ए. सी. ने ऐसी सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की सिफारिश की

5, 000 करोड़ रुपये से अधिक की निधि और गैर-निधि आधारित बकाया वाले खाते। आई. ए. सी. ने शुरू में बारह खातों को अपने हाथ में लिया है, जिनमें कुल 1 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। जे. आई. एल. बारह खातों में से एक था।

जिनके संबंध में दिवाला समाधान शुरू करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद, आई. ए. सी. ने सिफारिश की कि उन खातों के संबंध में जहां 60 प्रतिशत या उससे अधिक को वर्गीकृत किया गया है 30 जून 2017 तक एन. पी. ए., बैंकों को छह महीने के भीतर एक व्यवहार्य समाधान योजना को लागू करने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसमें विफल रहने पर खातों को 31 दिसंबर 2017 तक आई. बी. सी. के तहत एक संदर्भ के लिए निर्देशित किया जा सकता है। जे. ए. एल. ऐसी ही एक संस्था थी। कोई व्यवहार्य समाधान योजना नहीं मिल सकी जिसके परिणामस्वरूप इसे सी. आई. आर. पी. के लिए संदर्भित करने की भी आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अभ्यास को देश में प्रमुख बैंकिंग संस्थान के रूप में अपनी क्षमता में आर्थिक नीति के मामले के रूप में किया है, जिसे एक पर्यवेक्षी भूमिका और बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति सौंपी गई है। विशेष रूप से आर्थिक और वित्तीय मामलों में एक विशेषज्ञ नियामक निकाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थिति

इस न्यायालय के कई फैसलों में नीति को दोहराया गया है:

[आर. के. गर्ग चित्रा शर्मा और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

v भारत संघ 1 1, पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट Co.Ltd। v आर. बी. आई. 1 2, टी. एन. जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन। लिमिटेड बनाम सी. एस. ई. पी. डी. आई.-ट्रिश कंसोर्टियम 1 3 "]।

41. जे. ए. एल. को बैंकों द्वारा 3 अक्टूबर 2014 को एस. एम. ए.-II श्रेणी (60 दिनों से अधिक की अतिदेय मांग) के तहत और 31 मार्च 2015 से एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हम आर. बी. आई. के इस कथन से सहमत हैं कि समाधान में किसी भी तरह की और देरी से जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के लिए एक व्यवहार्य समाधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आर. बी. आई. द्वारा दायर आवेदन से अदालत के समक्ष सामने आए तथ्य स्पष्ट रूप से जे. ए. एल. और जे. आई. एल. के वित्तीय संकट का संकेत देते हैं। घर खरीदारों की अपनी वित्तीय अक्षमता के संबंध में आशंकाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि एक जिम्मेदार संस्थान ने अदालत के समक्ष आग्रह किया है। आईबीसी ने

एक व्यापक दिवालियापन कानून के रूप में और एक विशिष्ट विधायी इरादे के साथ अधिनियमित किया गया था। जून 2018 में जारी अध्यादेश द्वारा लाए गए संशोधन के साथ, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई है। तदनुसार, हम आर. बी. आई. की ओर से किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हैं कि उसे इसका पालन करने की अनुमति दी जाए। आई. बी. सी. के तहत जे. ए. एल. के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आई. ए. सी. की सिफारिशें।

42. तदनुसार, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. के समापन के लिए 180 दिनों की प्रारंभिक अवधि इस आदेश की तारीख से शुरू होगी। यदि आवेदन करना आवश्यक हो जाता है

90 दिनों का और विस्तार, हम एन. सी. एल. टी. को पारित करने की अनुमति देते हैं आई. बी. सी. के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश;

((ii) हम निर्देश देते हैं कि नए सिरे से एक सी. ओ. सी. का गठन किया जाएगा।

दिवाला और दिवालियापन के प्रावधानों के अनुसार

(संशोधन) अध्यादेश, 2018, विशेष रूप से संशोधित

"वित्तीय लेनदार" अभिव्यक्ति की परिभाषा;

(iii) हम आई. आर. पी. को उन तीन लघु-सूचीबद्ध बोलीदाताओं के अलावा, जिनकी बोलियों या, जैसा भी मामला हो, संशोधित बोलीदाताओं द्वारा समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए नई रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करने की अनुमति देते हैं।

बोलियों पर भी विचार किया जा सकता है;

1 1 (1981) 4 एस. सी. सी. 675 पैरा 19 1 2 (1992) 2 एस. सी. सी. 343 पैरा 31 1 3 (2017) 4 एस. सी. सी. 318 पैरा 36 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

7) जे. आई. एल./जे. ए. एल. और उनके प्रवर्तक धारा 29ए के प्रावधानों के आधार पर सी. आई. आर. पी. के बराबर होने के लिए अयोग्य होंगे।

आर. बी. आई. को अनुमति है, इस अदालत में अपने आवेदन के संदर्भ में बैंकों को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान शुरू करने की अनुमति है।

आई. बी. सी. के तहत जे. ए. एल. के खिलाफ;

यदि कोई बकाया है तो उसका भी निपटान किया जाता है।ग्यान

याचिकाएं